Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 12-05-2006

Participants : Kumar Shri Shailendra

an>

Title : Regarding the alleged violation of the "Placement of Worship Protection Act" in Vadodara, Gujarat.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : मैं लगातार दो दिन से इस स्पेशल मेंशन का नोटिस लगा रहा हूं, आज शाम को मौका मिला है जब सब लोग चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। यहां पर एन.डी.ए. के कुछ सांसद बैठे हुए हैं। वर्ा 1993 में देश की संसद में एक कानून पास किया गया था, जिसका नाम प्लेसमेंट ऑफ वरशिप प्रोटेक्शन एक्ट था। 1947 के पहले के कोई भी प्रमुख धार्मिक स्थल न तो परिवर्तित हो और न ही उसे हटाया जाए, यह इस एक्ट के तहत था। अभी वडोदरा, गुजरात में जो घटना घटी है, इसमें पूरे तरीके से इसका उल्लंघन हुआ है और सदन को इसकी चिंता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please speak on the subject. After all, your matter is about the Placement of Worship Protection Act. There is nothing about Gujarat or anybody else.

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह इसी से संबंधित है। हमारे संविधान के कानून के तहत उल्लंघन हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : दोनों संप्रदायों के धार्मिक स्थल हटाए गए हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार :महोदय, आप उसकी बात कह रहे हैं। दो सौ साल पुरानी सूफी संत सैय्यद रसीदुद्दीन चिश्ती की प्राचीन दरगाह, जिसकी मैंन्टेनेंस आज भी हिंदू करता है और हिंदू वहां दिया जलाता है, उसे नगर निगम ने ढाह दिया। इससे हिंसा हुई, छः लोग मारे गए, चालीस लोग हताहत हुए और काफी हिंसा हुई। इसके लिए बहाना बनाया गया कि सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जबकि यह बात नहीं है। वहां पर इतनी हिंसा भड़क गई कि सेना तक को बुला लिया गया। वहां ऐसा प्रतीत होता था कि वर्ा 2002 में गुजरात की घटना दोबारा न घट जाए। वहां पर यू.पी.ए. सरकार की तरफ से सेना भेजी गई थी तब जाकर स्थिति पर कंट्रोल हुआ थो। संसद में यह कानून बनाया गया, लेकिन कई राज्यों में इसका उल्लंघन होता जा रहा है। अगर इस प्रकार की बात है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कानून का रखवाला हो, अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।